

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र)
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
निज़ाम पैलेस, प्रथम एम. एस. ओ. भवन
(8 वां तल), 234/4 ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता -700020.

Government of India
Staff Selection Commission(ER)
Ministry of Personnel, Public Grievances
& Pensions,
Nizam Palace, 1st M.S.O. Building (8th
Floor), 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata -
700020.

कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन

कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु 31/03/2022 तक के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

1.	सुश्री उपासना बनर्जी, सहायक निदेशक कर्मचारी चयन आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्रथम एम.एस.ओ. बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020	पीठासीन अधिकारी
2.	श्री संजय प्रामाणिक, सहायक निदेशक कर्मचारी चयन आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्रथम एम.एस.ओ. बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020	सदस्य
3.	श्रीमती प्रतिमा बड़ा, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी कर्मचारी चयन आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्रथम एम.एस.ओ. बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020	सदस्य
4.	सुश्री शशि ओबेद, प्रबंधक, वाई.डब्ल्यू.सी.ए. ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, बर्न्स हाउस, 134, एस.एन. बनर्जी रोड, कोलकाता-700013	सदस्य

3. समिति का कार्यकाल 31/03/2022 तक होगा।

प्रियंका बसु इंगटी
(प्रियंका बसु इंगटी)
क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र)

प्रति प्रेषित:

1. अनुभाग अधिकारी (स्था.-II), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2. सुश्री उपासना बनर्जी, सहायक निदेशक, क.च.आ.(पू.क्षे.)।
3. श्री संजय प्रामाणिक, सहायक निदेशक, क.च.आ.(पू.क्षे.)।
4. श्रीमती प्रतिमा बड़ा, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क.च.आ.(पू.क्षे.)।

5. सुश्री शशि ओबेद, प्रबंधक, वाई.डब्ल्यू.सी.ए. ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, बर्न्स हाउस, 134, एस.एन. बनर्जी रोड, कोलकाता-700013 को यह सूचित करते हुए कि गैर सरकारी संगठनों में से नियुक्त सदस्य आंतरिक समिति की कार्यवाही संबंधी कार्य करने के लिए प्रति दिन दो सौ रुपये भत्ता एवं ट्रेन में श्री टियर, वातानुकूलित बस और ऑटो रिक्शा या टैक्सी द्वारा यात्रा में होने वाली यात्रा खर्च अथवा यात्रा में उनके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।
6. सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, क.च.आ.(पू.क्षे.)।
7. आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य, क.च.आ.(पू.क्षे.)।
8. इस कार्यालय का सूचना पट्ट।
9. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव ।